तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2022 / 7182 / अजमेर** **सोहनी देवी बनाम मंगला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-02-2024	**एकल–पीठ** **श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य** **उपस्थित :–** श्री शान्तिप्रकाश ओझा, अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण सं0 210/2021 में पारित निर्णय दिनांक 16–11–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की निगरानी पर बहस सुनी गयी। 3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रावधानानुसार वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जो विचारण न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही के दौरान पक्षकार हो। इस प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 से 3 पक्षकार ही नहीं थे। उक्त स्थिति को देखते हुए विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज किया है। प्रार्थीगण ने अपनी आराजी में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होने के कारण खसरा नंबर 508 व 509 में से खसरा नबर 507 गैरमुमकिन रास्ते तक 15 फुट चौड़ा रास्ता चाहा था। उक्त आराजी सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से अप्रार्थी सं0 4 राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया गया। विचारण न्यायलय ने तहसीलदार से जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को रास्ता दिये जाने का आदेश दिनांक 23–02–2021 पारित किया गया है जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 15–92–2021 द्वारा विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अप्रार्थी ने खसरा नंबर 508 व 509 को आधार लिया हे जबकि प्रार्थीगण को उक्त खसरा नंबरान पर मकान बने होने के कारण खसरा नंबर 511 के समीप खसरा नंबर 510/787 व 506/788 में से रास्ता देते हुए आराजी खसरा नंबर 511 से खसरा नंबर 507 तक पंहुचने के लिए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2022 / 7182 / अजमेर</u>** **सोहनी देवी बनाम मंगला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवागमन हेतु 15 फुट चौड़ा रास्ता दिया है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष केवल निर्णय दिनांक 15–9–2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें उक्त अपील में केवल आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के बिन्दु पर ही निर्णय किया जाना था। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर गलत रूप से अपील आंशिक स्वीकार कर निर्देशों सहित प्रकरण रिमाण्ड किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 16–11–2022 निरस्त किया जावे। 4– अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित,उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 5– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण के पिता केसर ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आरटीएक्ट पेश कर अपनी कृषि भूमि जाने हेतु खसरा नंबर 509 व 508 में से खसरा नंबर 507 गैरमुमकिन रास्ता तक रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने आदेश दिनांक 23–02–2021 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीसांगन की रिपोर्ट को मध्य नजर रखते हुए रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किया। 6– विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–02–2021 के विरूद्ध वर्तमान अप्रार्थी सं0 1 से 3 ने आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी केसर द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाकर उपखण्ड अधिकारी से रास्ता दिये जाने का आदेश कराया है। तहसीलदार की रिपोर्ट में खसरा नंबर 508 एवं 509 में पक्के मकान होने के कारण खसरा नंबर 510/787 एवं 506/788 में से रास्ता दिये जाने का उल्लेख किया है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि खसरा नंबर 510/787 एवं 506/788 में प्रार्थीगण के बाडे, झोपड़ी एवं कच्चे मकान हैं। तहसीलदार द्वारा अपूर्ण तथ्य वर्णित कर रिपोर्ट पेश की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा रास्ता कायम किये जाने का एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2022 / 7182 / अजमेर** **सोहनी देवी बनाम मंगला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7– किसी भी वाद में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र किसी पक्षकार द्वारा तभी लगाया जा सकता है जब वह वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित रहा हो । हस्तगत् प्रकरण धारा 251 (क) आरटीएक्ट के तहत् पेश किया गया है, जो वाद की श्रेणी में नहीं आता है। धारा 251 (ए) आरटीएक्ट के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय में कोई डिक्री पारित नहीं की जाती है इसलिए प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र विचारण एवं अपीलीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है। 8– विचारण न्यायालय ने हालांकि निर्णय दिनांक 07–4–2021 में यह अंकित किया है कि मूल प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जा चुका है इसलिए अब पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं है किन्तु विधिक प्रक्रिया अनुसार आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र तब पेश किया जा सकता जब न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पूर्व से ही पक्षकार रहे हों तथा विधिवत तामील कराये बिना एकपक्षीय निर्णय/ डिक्री पारित की गई हो। वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष में अपार्थी सं0 1 से 3 पक्षकार ही नहीं थे, न ही कोई डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं था। 9– वर्तमान अप्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–9–21 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष धारा 225 आरटीएक्ट के तहत् अपील पेश की गई है। अपील में अप्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र सं0 32/2021 में पारित आदेश दिनांक 15–9–2021 एवं मूल प्रार्थना पत्र सं0 25/2021 में पारित आदेश दिनांक 23–02–2021 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। आक्षेपित आदेश दिनांक 15–9–2021 विधि के अनुसार राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष पोषणीय नही होने के कारण निरस्त योग्य था क्योंकि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे। प्रस्तुत अपील को विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रार्थना पत्र सं0 25/2020 में पारित आदेश दिनांक 23–02–2021 के विरूद्ध अपील माना जावे तो भी अप्रार्थीगण द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील पेश करने की अनुमति नहीं ली गई है, जो आवश्यक थी, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–02–21 में अप्रार्थी सं0 1 से 3 पक्षकार नहीं थे। अपीलीय न्यायालय द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2022 / 7182 / अजमेर</u>** **सोहनी देवी बनाम मंगला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिक प्रावधानों को नजरंदाज करते हुए निगरानीधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। 11– परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का निर्णय दिनाक 16–11–2022 खारिज किया जाता है। 12– आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जमा कराई आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भंवर सिंह सान्दू) सदस्य	